महत्वपूर्ण एवं खास

फेसबुक फ्रेंड ने घर घुसकर की छेड़खानी, कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली में दिनांक 04.03.2020 को 19 वर्षीय युवती द्वारा बजरंगडिपा जूटमिल में रहने वालेदिनेश सिदारद्वारा घर घुसकर छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराया है। युवती बताई की छह-सात माह पहलेदिनेश उर्फ सोनू 19 साल निवासी बजरंगडिपासे फेसबुक के माध्यम से जान परिचय हुआ। कुछ दिनों से दिनेश लगातार कॉल कर पसंद करता हूं शादी करूंगा कहकर कॉल करता था। दिनांक 04.03.2020 के रात्रि करीब 12:30 बजे दिनेश घर घुस आया और हाथ बाह पकड़ कर छेड़खानी करने लगा युवती विरोध की तो उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गया जिसकी आवाज सुनकर घरवाले जागे और दिनेश को पकड़ लिए । युवती घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई है जिस पर आरोपी दिनेश सिदार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 212/ 2020 धारा 323, 354, 452 ताहि पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल दाखिल कराया गया है।

भूपदेवपुर एवं सारगंढ में कच्ची महुआ शराब पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। भूपदेवपुर पुलिस द्वारा दिनांक 03.03.2020 को नहरपाली मांझीपारा में रहने वालेराजकुमार मांझी पिता नत्थुराम मांझी उम्र 25 वर्षको अवैध रूपे से घर कोलाबाडी में शराब छिपा कर रखने की सूचना पर रेड कर पकड़े जिसके पास से 20 लीटर अवैध महुआ शराब किमती 2000/- रूपयेको जप्त किया गया है। आरोपी पर थाना भूपदेवपुर में धारा 34/2 आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। वहीं दूसरी घटना सारंगढ पुलिस द्वारा दिनांक 03.03.2020 को ग्राम गश्त दौरान बंधापाली मेंरामअधार सिदार पिता टेगनू सिदार उम्र 29 वर्ष सा. बंधापालीको घर मे अवैध कच्ची महुआ शराब रखे होने की सूचन पर रेड कर पकड़े। आरोपी के पास से07 लीटर हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब किमती 700 रूपयेजप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में धारा 34 (1) क (2) 59 क आब.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

कोतरारोड़ पेट्रोलिंग ने 2 जुआ फड़ से 11 जुआडिओं को पकड़ी, 10730 रूपये जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतरारोड़ थाने की पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा दिनांक 03/03/2020 को ग्राम भगवानपुर में जुआ खेलते हुए 1. सुदेव मुरा पिता किरती बस मुरा उम्र 31 वर्ष सा0 राम कुटिया भगवानपुर थाना कोतरा 2. संजीव पटेल पिता श्रवण पटेल उम्र 34 वर्ष 3. विनोद महतो पिता स्व0 जगदेव महतो उम्र 38 वर्ष सा0 लीमडीहपारा खैरपुर थाना कोतरा रोड 4. अनवर अंसारी पिता सिकंदर अंसारी उम्र 38 वर्ष सा0 विजय नगर किरोडीमल नगर थाना कोतरा रोड को घेराबंदी कर पकडे जिनके फड एवं पास सेजुमला रकम 7330 रूपये तथा 52 पत्ती ताश एवं एक बिछा हुआ गमछाजप्त किया गया है। एक अन्य जुआ फड ग्राम गेजामुडा क्षेत्र में जुआडियान 1. पप्पू सिदार पिता मोहित राम सिदार उम्र 23 वर्ष 2. हीरालाल सिदार पिता शिवप्रसाद सिदार उम्र 32 वर्ष 3. कमलेश चौहान पिता नेहरू लाल उम्र 23 वर्ष 4. हरीशंकर सिदार पिता सुकुतराम सिदार उम्र 23 वर्ष 5. पुरूषोत्तम पटेल पिता घनश्याम पटेल उम्र 28 वर्ष सभी ग्राम गेजामुडा 6. रोहित पटेल पिता विजय लाल पटेल उम्र 25 वर्ष सा0 चारभांटा थाना भुपदेवपुर 7. उग्रसेन सिदार पिता पंचराम सिदार उम्र 26 वर्ष सा0 बनहर को 52 पत्ती तास से जुआ खेलते पकड़े जिनके फड एवं पास सेजुमला 3400 रू0 एवं 52 पत्ती ताश व एक प्लास्टिक बोरीजप्त किया गया है। जुआडियों पर थाना कोतरारोड़ में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

कक्षा 12 वीं इतिहास, भौतिकी, वाणिज्य एवं कृषि परीक्षा में 10272 परीक्षार्थी हुए शामिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा 2020 के तहत जिले में कक्षा 12 वीं इतिहास, भौतिकी, वाणिज्य एवं कृषि विषय की परीक्षा आयोजित हुई। जिसमें 10451 दर्ज परीक्षार्थियों में से 10272 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 179 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

मोबाइल लूटपाट करने वाले घरघोड़ा क्षेत्र के 04 युवकों को पूंजीपथरा पुलिस ने पकड़ा

» राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल की करते थे छीना झपटी » आरोपियों से तीन मोबाइल व घटना में प्रयुक्त दो बाइक जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। पिछले तीन-चार दिनों से थाना पूंजीपथरा क्षेत्र में कुछ बाइकर्स राह चलते लोगों की मोबाइल छीना झपटी करते हैं की शिकायतें थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक अमित सिंह को मिली रही थी जिस पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा द्वारा अपने स्टाफ व मुखबिरों को ऐसे बाइकर्स पर निगाह रखने निर्देशित किये।

इसी बीच थाना प्रभारी पूंजीपथरा को उनके मुखबिर से सूचना मिली कि घरघोड़ा में रहने वालामहावीर सोनवानी अपने साथियों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है जिस पर महावीर सोनवानी तथा उसके साथीशेख साहिल, विकास निषाद और जोगीराम टोप्पो को पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ किया गया। इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनसान इलाकों में अपने 03 अन्य साथियों के साथ मोबाईल लूटपाट करना स्वीकार किये हैं। आरोपियों से 3 मोबाइल क्रमशः 6200 रूपये, 8990 रूपये, 9500

रूपयेकुल 24,690 का तथा घटना में प्रयुक्तएचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल बिना नंबर एवं 150 सीसी काला रंग पल्सर बाइक सीजी 11 एम 8226 को जप्त किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी 1-महावीर सोनवानी पिता फूलचंद सुनवानी उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 4 थाना घरघोड़ा 2- शेख साहिल पिता शेख हारून मुसलमान वार्ड क्रमांक 3 थाना घरघोड़ा 3- विकास निषाद पिता जनार्दन निषाद उम्र 19 साल निवासी ग्राम चुहकीमार थाना घरघोड़ा 4- जोगीराम टोप्पो पिता गुरुवारु टोप्पो उम्र 19 साल ग्राम चुहकीमार थाना घरघोड़ा को तीन प्रार्थीगण द्वारा थाना पूंजीपथरा में दिनांक 03.03.2020 को मोबाइल लूटपाट की दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर दर्ज अपराध क्रमांक 29, 30, 31/2020 धारा 394, 34 भादवि में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपियों के 03 साथी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा दी जा रही है ।

ग्राम नेतनागर में चलित थाना का आयोजन

न्याय साक्षी/रायगढ़। सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए आम जनता एवं पुलिस के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए इन दिनों चौकी प्रभारी जूटमिल निरीक्षक अंजना केरकेट्टा द्वारा पुलिस की सक्रिय और प्रभावी उपस्थिति एवं सूचना तंत्र को प्रभावी ढंग से विकसित करने के उद्देश्य से अपने चौकी क्षेत्र के हर गांव, मोहल्ले में चलित थाना लगाकर क्षेत्रवासियों की समस्याएं एवं सुझाव प्राप्त कर रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2020 को पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गतग्राम नेतनागर में चलित थाना का आयोजन किया गया। चलित थाना में नवनियुक्त सरपंच, पंच व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। चौकी प्रभारी द्वारा ग्रामीणों से चर्चा कर अवैध शराब जुआ सट्टा एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक रहने की समझाइश दी गई । टीआई अंजना केरकेट्टा द्वारा उपस्थित लोगों को फेक फोन काल से होने वाले फ्रॉड, इनामी कूपन, सोना चांदी चमकाने के नाम पर ठगी, एटीएम ब्लॉक हो जाने के नाम पर ठगी करने वालों से सतर्क व सावधान रहने के लिए कहा गया। उन्होंने चिटफंड कंपनियों के बहकावे में न आकर ऐसी किसी गतिविधियों की जानकारी शीघ्र पुलिस को देने की समझाइश दिया गया। आने वाले होली त्यौहार हर्षोल्लास के साथ, शांति पूर्ण रूप से बनाने की अपील करते हुए असामाजिक गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की हिदायत दिया गया है।

41 लाख रूपये का चेक मिलने का लालच देकर खातों में धोखाधड़ी जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड में दिनांक 04.03.2020 को आवेदक सुंदरलाल राठिया आ0 मोहर सिंह राठिया निवासी उच्चभिटठी थाना कोतरारोड द्वारा एक लिखित टाईप शुदा आवेदन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कापरेशन लिमिटेड मैक्स हाउस -1 डा. झा मार्ग ओखला न्यू दिल्ली में कार्यरतदेवेंद्र वर्मा, अंकित चौहान, विक्रम बजाज, रूद्र प्रताप, नेहा वर्माके द्वारा लाइफ पालिसी में किस्त पटाने एवं 6 लाख 95 हजार, 41 लाख का चेक मिलने वाला है कहकर अपने अपने मोबाइल से फोन कर विभिन्न खातों में 41 लाख रूपये जमा कराकर धोखा धडी करने के संबंध में पेश किया गया है।

आवेदक सुंदर लाल राठिया ने बताया कि वर्ष 2012 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंश कार्पोरेशन लिमिटेड में 15 साल के लिए 11000 रूपये का इंश्योरेंश प्रति वर्ष पटाने के लिए कराया था जो इंश्योरेंश कराने के बाद अगला किस्त पटाना बंद कर दिया था। वर्ष 2017 में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बीमा का किस्त पटाने एवं 41 लाख रूपये का चेक मिलने का लालच देकर अलग-अलग खातों में धोखाधडी कर कुल 41 लाख रूपया जमा कराये। आवेदक ने बताया कि अब तक न उसे जमा की गई रकम प्राप्त हुई और न ही कोई चेक। थाना कोतरारोड़ में अनावेदकगण के विरूद्ध अप.क्र. 35/2020 धारा 420,120बी,34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

खाद्य पदार्थो से जुड़े कारोबारियों के लिए प्रशिक्षण 5 से 7 मार्च तक

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए खाद्य पदार्थो से जुड़े जिले के कारोबारियों के लिए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 5 से 7 मार्च 2020 तक होटल रजवाड़ा, कार्मेल स्कूल के सामने ढिमरापुर रोड, रायगढ़ में प्रात-10 से सायं 6 बजे तक आयोजित की जा रही है। प्रशिक्षण में सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को पहचान पत्र एवं खाद्य लाईसेंस व पंजीयन की छायाप्रति साथ में लाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जिसमें समस्त लाईसेंस एवं पंजीयन प्राप्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा।

फिजियोथैरेपी से नन्हा बालक ओम हुआ ठीक

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्रगतिनगर रायगढ़ निवासी नरेश चंद्र भोई के डेढ़ माह के नन्हे पुत्र ओम भोई की जन्म के बाद से ही बांयी ओर का चेहरा लकवा ग्रस्त हो गया था। ओम का जन्म 30 नवम्बर 2019 को जिला अस्पताल में हुआ है।

उनके पिता ने बताया कि बालक को प्रारंभ में सर्दी, खांसी होने के बाद वह चेहरा टेड़ा करने लगा। पालकों ने उसे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.ताराचंद पटेल के पास इलाज के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने इलाज उपरांत नन्हे बालक ओम को जिला जतन शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र में फिजियोथैरेपी कराने की सलाह दी। केन्द्र के न्यूरो फिजियोथैरेपिस्ट डॉ.सिद्धार्थ सिन्हा से संपर्क करके उनके मार्गदर्शन में एक माह तक नियमित फिजियोथैरेपी किया गया। थैरेपी करने के बाद बच्चे का चेहरा ठीक होने लगा और नन्हा बालक लकवा से मुक्त हो गया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी को फेशियलपाल्सी कहते है।

ठंड के दिनों में ज्यादा सर्दी, खांसी होने की वजह से कान के पास से होते हुए चेहरे की नस लकवा ग्रस्त हो जाती है एवं ठंडी चीजे जैसे आईसक्रीम, बर्फ, दही ज्यादा खाने से चेहरे लकवा ग्रस्त या चेहरे की नस में इंफेक्शन हो जाता है और इंफेक्शन बढ़ जाने से लकवा की संभावना बढ़ जाती है।

इसका दवाईयों के साथ-साथ फिजियोथैरेपी ही एकमात्र इलाज है। जिसमें मसल्स स्टिम्युलेटर मशीन के द्वारा चेहरे की विभिन्न भावों को एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक किया जाता है। नन्हें बच्चों का इलाज फिजियोथैरेपी के माध्यम से किए जाने पर वे पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। ओम के पालक डॉक्टरों के इलाज से संतुष्ट हुए और जिला जतन शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र के डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया।

तेलंगाना के ईट भट्ठा में बंधक मजदूरों को छुड़ाकर लाई सारंगढ़ पुलिस की टीम

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ तहसील के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दमदरहा सुंदरगढ़, बनहर एवं धौराभाठा के कुछ ग्रामीण 2 माह पूर्व मजदूरी करने तेलंगाना की ओर गए थे जहां जिला पेद्दापल्ली तेलंगाना के एस.एफ.एम. कंपनी राघवपुर में सारंगढ़ के ग्रामीण ईट भट्ठा में काम कर रहे थे।

ईट भट्ठा का मालिक मोइनुद्दीन ईट भट्ठा में ग्रामीणों को बंधक बनाकर बेहिसाब काम कराता और पूरी मजदूरी नहीं दे रहा था। मजदूरों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी परिजनों द्वारा चौकी प्रभारी सारंगढ़ एवं थाना प्रभारी सारंगढ़ को इसकी जानकारी दिये। तब थाना प्रभारी सारंगढ़ द्वारा घटना पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के संज्ञान में लाये, जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसडीओपी सारंगढ़ जीतेंद्र खूंटे को शीघ्र रेस्क्यू टीम तैयार कर ग्रामीणों को लेकर आने निर्देशित किए जिस पर एसडीओपी द्वारा थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक ए.के. खान के नेतृत्व में ए.एस.आई. प्रेमलाल चंद्रा, ए.एस.आई. कुसुम केवर्त, आरक्षक हीराधर नाग एवं श्रम विभाग के उप निरीक्षक के.के. खरे की संयुक्त टीम तैयार कर तेलंगाना रवाना किये। दिनांक 01.03.2020 को टीम तेलंगाना के एस.एफ.एम. कंपनी राघवपुर ईट भट्ठा पहुंचकर फंसे मजदूर ग्राम दमदरहा सुंदरगढ़ के 1- फागु लाल बरिहा पिता दैतारी बरिहा उम्र 45 वर्ष 2- उसकी पत्नी फूलबाई बरिहा 38 वर्ष, 3- शेर सिंह पिता नांनकून उम्र 35 साल 4- उसकी पत्नी राम कुंवर उम्र 25 साल 5- मानसिंह पिता नानकुन 30 वर्ष 6-उसकी पत्नी फूलबीना उम्र 29 वर्ष 7- ग्राम बनहर के डमरू धर चौहान पिता मनोहर चौहान उम्र 25 वर्ष 8- उसकी मां मंगली चौहान उम्र 42 वर्ष 9- अजीत चौहान पिता श्यामलाल उम्र 25 वर्ष 10- उसकी पत्नी लक्ष्मी चौहान उम्र 23 वर्ष एवं 11- उनका 3 वर्ष का बालक तथा 12- ग्राम धौराभाठा के रवि लाल पिता मकरध्वज जयसवाल उम्र 70 वर्ष 13- उसकी पत्नी श्रीमती बसंत उम्र 50 वर्ष 14- सम्मे लाल पिता मकरध्वज उम्र 49 वर्ष 15- श्रीमती बूंद कुंवर पति सम्मे लाल 46 वर्ष को तेलंगाना की लोकल पुलिस की सहायता से ईट भट्ठा से छुड़ाकर सकुशल गृहग्राम लाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की अनिवार्यता है महत्वपूर्ण

न्याय साक्षी/रायगढ़। जाति प्रमाण पत्र निर्माण के संबंध में जिले के राजस्व अधिकारियों की कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। विषय विशेषज्ञ आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के पूर्व उपसंचालक टी.एम.झा के द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

झा ने जाति प्रमाण पत्र निर्माण तथा सत्यापन की प्रक्रिया तथा राजस्व अधिकारियों की इस संबंध में भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि एक राजस्व अधिकारी दूसरे जिले के रिकॉर्ड पर आधारित आवेदन पर जाति प्रमाण पत्र नही बना सकता है और जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अनिवार्यता महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने प्रक्रिया के दौरान आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को केस स्टडी तथा उदाहरणों का उल्लेख करते हुए उसके निदान भी बताये। कार्यशाला में आगे राजस्व अधिकारियों को जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं पर भी समाधानपरक चर्चा की गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति या परिवारों की पहचान कैसे करें जिसके जाति के संबंध में लोक अथवा निजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। ग्राम सभा के माध्यम से जारी होने वाले प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, क्रीमी लेयर का निर्धारण, माइग्रेट होकर आए व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र निर्माण हेतु प्रावधान, जिला स्तरीय छानबीन समिति की संरचना, प्रमाण-पत्र का राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा सत्यापन आदि मुद्दों पर भी कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में वांछित जानकारी का संकलन तथा समय-समय पर सर्कुलर के माध्यम से जारी किए गए निर्देश व प्रावधान को विस्तार से बताया गया। जाति प्रमाणीकरण के संबंध में परिषद द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी दी गयी।

घरघोड़ा विकासखण्ड में शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन के लिए 13 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत-बगचबा, तुमीडीह, उरबा, कंचनपुर, बिजना, भेंगारी, कुडुमकेला, अमलीडीह एवं बडग़ांव में शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है। जिसके लिए 13 मार्च 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। ग्राम पंचायत, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अद्रुम एवं वन सुरक्षा समिति 13 मार्च को प्रात:10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक अपना आवेदन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)घरघोड़ा में सहा.खाद्य अधिकारी घरघोड़ा के समक्ष जमा कर सकते है।

» मिडिल स्कूल बहामा के प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस

सीईओ जिला पंचायत चौधरी ने लैलूंगा विकासखण्ड का किया सघन दौरा

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लैलूंगा विकासखण्ड का सघन दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने विकासखण्ड में नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी के अंतर्गत चल रहे गौठान के अधोसरंचनात्मक विकास तथा नरवा तथा बाड़ी के निर्माण कार्य का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सुश्री चौधरी ने विभिन्न स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिडिल स्कूल बहामा के प्रधान पाठक एम.आर.यादव रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अनुपस्थित पाये गए तथा हाजिरी पंजी में कक्षा 6 वीं के 11 बच्चों को दर्ज बताया गया जबकि वहां कुल 5 बजे ही उपस्थित थे। साथ ही कक्षा 8 वीं में भी गलत उपस्थिति दर्ज बतायी गई। सीईओ जिला पंचायत सुश्री चौधरी ने लैलूंगा बीईओ को मिडिल स्कूल बहामा के प्रधान पाठक एम.आर.यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। सुश्री

चौधरी ने इसके अतिरिक्त सेरी कल्चर, निर्माण कार्य, नर्सरी तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का भी निरीक्षण किया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480